न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रपेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/49/2016	14–12–2016	07–12–2017

1–श्रीरण विजय सिंह पुत्र स्व0 तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली हाउस, सिविल लाईन, अलवर
2–राजेन्द्र बहादुर पुत्र स्व0 श्री रणवीर सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी सी–75 कर्मचारी कॉलोनी अलवर।
3–कृष्णानन्द सिंह पुत्र स्व0 श्री रणवीर सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी सी–75 कर्मचारी कॉलोनी अलवर।
4–सुनीता पुत्री स्व0 श्री रणवीर सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी सी–75 कर्मचारी कॉलोनी अलवर।
5–मालती पत्नि स्व0 श्री रणप्रवीण सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत बहाली हाउस, सिविल लाईन, अलवर
6–निखिल पुत्र स्व0 श्री रणप्रवीण सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत बहाली हाउस, सिविल लाईन, अलवर
7–राजदेवी पत्नि राणभानु सिंह पुत्रवधु स्व0 तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत बहाली हाउस, सिविल लाईन, अलवर

अपीलान्टस

बनाम

1–रणधीर सिंह पुत्र स्व0 श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली तह0 रामगढ हाल निवाली नयाबास अलवर तह0 जिला अलवर
2–श्रीमति नसीरा पत्नि नब्बी खां जाति मेव निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर
3–तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ़ जिला अलवर

असल रेस्पाडेन्टान्

4–मन्जु पुत्री स्व0 श्री रणभान सिंह पौत्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली हाउस सिविल लाईन अलवर
5–भूपेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रणभान सिंह पौत्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली हाउस सिविल लाईन अलवर
6–आशा पुत्री स्व0 श्री रणभान सिंह पौत्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली हाउस सिविल लाईन अलवर
7–प्रतिभा पुत्री स्व0 श्री रणप्रवीण सिंह पौत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह जाति राजपुत बहाली हाउस, सिविल लाईन, अलवर

तरतीबी रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 30.11.16नामान्तकरण संख्या 491 ग्राम बलवण्डका, तह0 रामगढ

उपस्थितः–

01. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता –वकील अपीलान्टस
02 श्री बाबू सिंह राघव –वकील रेस्पो0

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 30.11.16 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 491 ग्राम बलवण्डका, तहसील रामगढ जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया आराजी हाल खसरा न0 413 रकबा 0.06 है0, 414 रकबा 0.35 है0, 415 रकबा 0.33 है0, ग्राम बलवण्डका व खसरा नं. 84 रकबा 0.33 ग्रम केसरोली तहसील रामगढ़ मे स्थित है। असल रैस्पॉडेन्ट ने श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तैजा सिंह राजपुत द्वारा अपने ह कमे वसीयत दिनांक 20.06.1994 तहरीर करना बताते हुए, विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त वसीयतनामे के आधार पर दिनांक 30.11.2016 को तहसीलदार द्वारा निर्णय करते हुए। कब्जे मौके के खिलाफ नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 491 दर्ज व स्वीकार किया गया। श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा सिंह द्वारा कोई भी वसीयत रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 के ह कमे नही की गई। उक्त वसीयतनामा दिनांक 20.06.1994 फर्जी एवं बनावटी है। वसीयतनामें पर तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह के जो हस्ताक्षर है। वह फर्जी हस्ताक्षर है। श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह अग्रेजी में हस्ताक्षर करते थे। जबकी वसीयतनामें पर हस्ताक्षर हिन्दी में है। गुलाब चन्द के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 20.06.2004 दर्ज है, जबकी तथाकतिथ वसीयतनामें पर 20.06.1994 का बताया गया है। संरपच नरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर में मोहर के नीचे व पब्लिक नोटेरी के मोहर व हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.05.1995 तिथि अंकित है, जो विरोधाभाषी है। श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 के पास नही रहते थे। अपितु अपने बड़े पुत्र रणवीर सिंह के साथ रहते थे। जिसका राशन कार्ड दिनांक 05.10.1994 को बना है। जिसमें श्री तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह का नाम दर्ज है। तथाकथित वसीयतनामा सादा पेपर पर तहरीर कर नोटेरी से तस्दीकशुदा अपंजिकृत दस्तावेज है। जिसके आधार पर विरासत नामान्तकरण दर्ज नही करना चाहिए था। रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 सन 2003 से अलवर में निवास कर रहे है। विवादित आराजी पर उनका कभी कब्जा नहीं रहा ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। तहसीलदार द्वारा मृत्क के वारिसो की भी उचित व प्रर्याप्त जांच नही करवाई, ना ही अपना पक्ष रखने का प्रर्याप्त अवशर दिया गया। तहसीलदार को निर्णय करने से पूर्व नामान्तकरण ग्राम पंचायत को प्रेषित करना चाहिए था। तथा ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवश की अवधी में निणर्य नही करने की सूरत में तहसीलदार साहब को निर्णय करने का अधिकार था। तहसीलदार साहब ने जो उज्रदारी नोटिस जारी किये है। इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधी सुनवाई के लिए निर्धारित करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नही कर दिनांक 17.11.2016 को जारी उज्रदारी नोटिस में महज 08 दिन की अल्पावधी एतराज प्रस्तुत करने के लिए दी गई ओर 13 दिवस की अवधी में निणर्य पारित कर दिया गया, जो विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.11.2016 न्यायालय तहसीलदार रामगढ, अलवर तथा नामान्तकरण संख्या 491 दिनांक 09.12.2016 निरस्त फरमाया जावें। अपीलाण्ट द्वारा अपील की ताईद में गवाह बयान नकल श्री तेजबहादुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, भारतीय डाक विभाग पर्ची की फोटो प्रति एवं परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई है।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी के पिता तेज बहादुर सिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपुत निवासी बहाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम इन्द्राज कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ़ को पेश किया गया। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा उज्रदारी इश्तहार जारी करते हुए व बयान गवाहान आदि के गुणावगुण पर मंथन के बाद विवादित आराजी का नामान्तकरण वसीयत अनुसार प्रार्थी के हक में किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में किया गया वसीयतनामा सही वसीयतनामा है। गवाह श्री गुलाब चन्द शर्मा पुत्र श्री चन्दुलाल निवासी शिम्भूबास तहसील राजगढ़ के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 20.06.2094 लिखी गई है वह असल में 20.06.1994 है। 20.06.2094 सहवन से 1994 की जगह 2094 लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा दो आदेशों के विरूद्व एक अपील पेश की है। जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा रेस्पॉडेन्ट संख्या 02 को किया गया विक्रय पत्र प्रार्थी के नाम नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात् ही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

जावें। रेस्पॉडेन्ट द्वारा अपने पक्ष में आर.आर.डी. 2014 पेज 612, आर.आर.डी. 2007 पेज 375, आर.आर.डी. 2006 पेज 190 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है। हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार रामगढ द्वारा वसीयतनामा दिनांक 20.06.1994 के संबंध में पटवारी हलका से रिर्पोट व कब्जे संबंधी मौका पर्चा मंगवाया गया। जिसमें रेस्पॉडेन्ट नं. 01 का कब्जा होना बताया गया है। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा वसीयतनामें के अन्य गवाहान गुलाब चन्द शर्मा को भी तलब करना पाया जाता है। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाब चन्द शर्मा की दिनांक 06.03.2015 को मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे गवाह श्री नरपत सिंह पुत्र बनेसिंह ग्राम पोस्ट ढिगावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अपने ब्यान में उक्त वसीयत होना स्वीकारा है। पहचान कर्ता नरेन्द्र सिंह पूर्व संरपच ग्राम पंचायत केसरोली द्वारा भी अपने बयान दिनांक 08.09.2016 में उक्त वसीयत होना स्वीकार किया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है की तहसीलदार रामगढ़ द्वारा वसीयत के आधार पर निर्णय पारित कर नामान्तरकरण खोला गया है।रेस्पॉडेन्टगण को यदि उक्त वसीयतनामा के फर्जी होने का अंदेशा था, तो वो उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनोती देनी चाहिये या फिर खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में दायर करनी चाहिये।चूकि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। वसीयत को निरस्त करने अथवा अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है तथा हस्तगत प्रकरण में जिस वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह वसीयत आज भी अस्तित्व में है। अतः तहसीलदार,रामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 30.11.2016 में किसी प्रकार को हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07–12–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)